न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामसर, जिला—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी : श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या :— 09 / 2024

अपीलकर्तागण	बनाम	उतरदातागण
1. अमीर पुत्र बगता उम्र 50 वर्ष 2. अनवर पुत्र अलदा उम्र 45 वर्ष जाति मुसलमान, निवासी मेकरनवाला तहसील रामसर, जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत मेकरनवाला जरिये सरपंच 2. अमर पुत्र आदम उम्र 60 वर्ष 3. ईधा पुत्र खमा उम्र 65 वर्ष 4. ईस्माईल पुत्र बगता उम्र 45 वर्ष 5. निजाम पुत्र एलियास उम्र 35 वर्ष 6. बसीर पुत्र एलियास उम्र 27 वर्ष 7. कम्भीर पुत्र एलियास उम्र 23 वर्ष 8. हाडा पुत्र एलियास उम्र 20 वर्ष 9. काला पुत्र सरादीन उम्र 45 वर्ष 10. खंगार पुत्र मीरू उम्र 40 वर्ष 11. जीयण पुत्र मीरू उम्र 45 वर्ष 12. नसीबा पत्नी हयात उम्र 45 वर्ष 13. बसरी पुत्री हयात उम्र 22 वर्ष 14. मुराद पुत्र जला उम्र 60 वर्ष 15. मिसरों पत्नी अलदा उम्र 65 वर्ष 16. रहमान पुत्र मीरू उम्र 48 वर्ष 17. वलीया पत्नी मीरू उम्र 75 वर्ष 18. वाहरम पुत्र सरादीन उम्र 55 वर्ष 19. अनवर पुत्र सखर उम्र 55 वर्ष 20. सिकन्दर पुत्र सखर उम्र 40 वर्ष 21. मुरादी पत्नी सखर उम्र 68 वर्ष 22. हेदर पुत्र अलदा उम्र 42 वर्ष 23. हलीम पुत्र जला उम्र 48 वर्ष 24. वाहरम खान उर्फ बारम पुत्र हबीब उम्र 59 वर्ष जाति मुसलमान, निवासी मेकरनवाला, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर

उपस्थित :—

1. श्री कंवराज बैनिवाल अधिवक्ता अपीलकर्ता
2. श्री महेन्द्र सिंह सोढ़ा अधिवक्ता उतरदाता संख्या 3, 9 से 13, 16 से 18 व 22
3. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता उतरदाता संख्या 2, 4, 5 से 8, 14 से 15, 19 से 21 व 23
4. उतरदाता संख्या 01 व 24 अनुस्थित

—:: आदेश ::—

दिनांक: 17.12.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलकर्तागण एंव उतरदातागण के कदीमी कब्जा काश्त खसरा नम्बर 126, 70, 138 मौजा मेकरनवाला, ग्राम पंचायत मेकरनवाला, पटवार हल्का भीण्डे का पार, तहसील रामसर जिसमें सभी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हैं। अपीलकर्ता के खेत मौजा मेकरनवाला [illegible] पाबूसरिया कंटल का पार में आये हुए हैं। अपीलकर्ता के पिता जो मुतवफी [illegible] हाथी के औलाद थे। वक्त सेटलमेंट अपीलकर्ता के दादा मारूफ [illegible] खातेदारी दर्ज हुई जिनके वंशज शेष उतरदातागण हैं। मुतवफी मारूफ के [illegible] थे जो क्रमशः हबीब, [illegible] उर्फ सरदारा, बगता, अलदा उर्फ प्रहलाद थे। मुतवफी हबीब के सायबी पत्नी थी जो ला[illegible] फौत हुई परन्तु उतरदाता संख्या 18 वाहरम पुत्र सरादीन उर्फ सरदारा ने छल कपट पूर्वक [illegible] से सरदारा उर्फ सरादीन का पुत्र होते हुवे भी हबीब पुत्र मारूफ व हबीब की पत्नी सायबी क

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.01.27 17:35:34 IST
Reason: SelfAttested

17/12/2025
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

र उसका फर्जी रूप से पुत्र बनकर अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों एवं सरपंच मेकरनवाला जिस कर सायबी के फौतगी पर उसका वंशज बन वाहरम उर्फ बारम पुत्र हबीब उतरदाता संख्या 24 के रूप में बना जबकि हबीब इसके रिस्ते में ताउ तथा सायबी ताई लगती थी उक्त वाहरम पुत्र सरादीन उतरदाता संख्या 18 व वाहरम उर्फ बारम पुत्र हबीब उतरदाता संख्या 24 एक ही व्यक्ति हैं। उतरदाता संख्या 18 व वाहरम पुत्र सरादीन ने फर्जी तरीके से सायबी व हबीब का पुत्र उतरदाता संख्या 24 के रूप में बनकर नामांतरकरण संख्या 460 दिनांक 05.07.2023 के अवैध रूप से पारित कर मु. सायबी पत्नी हबीब की संपूर्ण हिस्सा की खातेदारी भूमि अपने नाम करा ली जबकि **वाहरम पुत्र सरादीन जो वाहमर खान उर्फ बारम पुत्र हबीब(फर्जी पुत्र बना) एक ही आदमी हैं।** जिसने उतरदाता संख्या 4, 9, 12, 13, 15, 18, 22 सभी मुतवफी मारूफ के जाईदा वंशज एवं उतराधिकारी हैं उन्हें अपने हक से महरूम रखने के लिए छल, कपट, धोखे से जालसाजी कर फर्जी तरीके से हबीब का पुत्र बना जबकि हबीब लाऔलाद फौत हुवे क्योंकि उनकी पत्नी सायबी के कोई पुत्र नहीं था। वाहरम वास्तविक रूप से यह सरादीन का पुत्र हैं और उक्ता नामांतरकरण संख्या 460 मौजा मेकरनवाला के आधार पर वाहरम पुत्र सरादीन फर्जी तरीके से अधिनस्थ कर्मचारियों एवं सरपंच से साजिस कर छल कपट व धोखे से सायबी पत्नी हबीब का संपूर्ण हिस्सा खातेदारी का अपने नाम करा लिया जबकि सायबी पत्नी हबीब क पत्नी थी जो लाऔलाद फौत हुई उसके लाऔलाद फौत होने पर मुतवफी मारूफ के वंशज एवं उतराधिकारी अपीलकर्तागण एवं उतरदाता संख्या 4, 9, 12, 13, 15, 18, 22 के नाम समान रूप से खातेदारी में हिस्सा दर्ज होता उससे महरूम रखने के लिए उतरदाता संख्या 18 जो फर्जी तरीके से हबीब का पुत्र बना जो उपरोक्त नामांतरकरण के अमलदरामद करने से विधि विरूद्व हबीब का पुत्र बना और आगामी चौसला जमाबंदी में उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 126, 70, 138 मौजा मेकरनवाला तहसील रामसर में अकेले ने हिस्सा प्राप्त किया जबकि अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 4, 9, 12, 13, 15, 18, 22 सभी हबीब के उतराधिकारी के रूप में नामांतरकरण पारित करना था जो नहीं किया गया जिससे उतरदाता संख्या 24 के नाम की गलत प्रविष्टि दर्ज है जो कि उतरदाता संख्या 1 द्वारा की गई उतरदाता संख्या 24 के पक्ष में दर्ज नामांतरकरण संख्या 460 ग्राम मेकरनवाला, पटवार हल्का भीण्डे का पार दिनांक 05.07.2023 को पारित करने में भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की हैं अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार की जावें एवं विवादित नामान्तकरण संख्या 460 ग्राम मेकरनवाला, पटवार हल्का भीण्डे का पार, दिनांक 05.07.2023 को निरस्त किया जाकर उतरदाता संख्या 24 वाहरम खान उर्फ बारम पुत्र हबीब का नाम राजस्व अभिलेखो से हटाये जाने के आदेश पारित किये जावें। इस कारण उक्त अपीलकर्ता द्वारा अपील पेश की है।

अपीलकर्तागण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उत्तरदातागण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर उत्तरदाता संख्या 3, 9 से 13, 16 से 18 व 22 की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र सिंह सोढ़ा द्वारा वकालतनामा व लिखित प्रकथन/बहस प्रस्तुत की गई जिसे शामिल मिसल किया गया तथा उतरदाता संख्या 2, 4, 5 से 8, 14 से 15, 19 से 21 व 23 की ओर से अधिवक्ता मदनसिंह भाटी द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति दी गई, उतरदाता संख्या 1 से 24 बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं।

अपीलकर्ता अधिवक्ता ने अपने लिखित प्रकथन/बहस में निवेदन किया कि अपीलकर्तागण एंव उतरदातागण के कदीमी कब्जा काश्त खसरा नम्बर 126, 70, 138 मौजा मेकरनवाला, ग्राम पंचायत मेकरनवाला, पटवार हल्का भीण्डे का पार, तह[illegible] जिसमें सभी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हैं। अपीलकर्ता के [illegible]वाला, व मौजा पाबूसरिया कंटल का पार में आये हुए हैं। अपीलकर्ता के [illegible] मुतवफी मारूफ वल्द हाथी के औलाद थे। वक्त सेटलमेंट अपीलकर्ता के दादा मारूफ के नाम अपने अन्य भाईयों के नाम खातेदारी दर्ज हुई जिनके वंशज शेष उतरदातागण हैं। मुतव[illegible] मारूफ के चार पुत्र थे जो क्रमशः हबीब, सरादीन उर्फ सरदारा, बगता, अलदा उर्फ प्रहलाद थे। मुतवफी हबीब के सायबी पत्नी थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rami Lal Meena
Date: 2026.01.27 17:35:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

...लाद फौत हुई परन्तु उतरदाता संख्या 18 वाहरम पुत्र सरादीन उर्फ सरदारा ने छल ...पूर्वक धोखे से सरदारा उर्फ सरादीन का पुत्र होते हुवे भी हबीब पुत्र मारूफ व हबीब की ...सायबी क फौतगी पर उसका फर्जी रूप से पुत्र बनकर अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों एवं ...पंच मेकरनवाला से साजिस कर सायबी के फौतगी पर उसका वंशज बन वाहरम उर्फ बारम पुत्र हबीब उतरदाता संख्या 24 के रूप में बना जबकि हबीब इसके रिस्ते में ताउ तथा सायबी ताई लगती थी उक्त वाहरम पुत्र सरादीन उतरदाता संख्या 18 व वाहरम उर्फ बारम पुत्र हबीब उतरदाता संख्या 24 एक ही व्यक्ति हैं। उतरदाता संख्या 18 व वाहरम पुत्र सरादीन ने फर्जी तरीके से सायबी व हबीब का पुत्र उतरदाता संख्या 24 के रूप में बनकर नामांतरकरण संख्या 460 दिनांक 05.07.2023 के अवैध रूप से पारित कर मु. सायबी पत्नी हबीब की संपूर्ण हिस्सा की खातेदारी भूमि अपने नाम करा ली जबकि **वाहरम पुत्र सरादीन जो वाहमर खान उर्फ बारम पुत्र हबीब(फर्जी पुत्र बना) एक ही आदमी हैं।** जिसने उतरदाता संख्या 4, 9, 12, 13, 15, 18, 22 सभी मुतवफी मारूफ के जाईदा वंशज एवं उतराधिकारी हैं उन्हें अपने हक से महरूम रखने के लिए छल, कपट, धोखे से जालसाजी कर फर्जी तरीके से हबीब का पुत्र बना जबकि हबीब लाऔलाद फौत हुवे क्योंकि उनकी पत्नी सायबी के कोई पुत्र नहीं था। वाहरम वास्तविक रूप से यह सरादीन का पुत्र हैं और उक्ता नामांतरकरण संख्या 460 मौजा मेकरनवाला के आधार पर वाहरम पुत्र सरादीन फर्जी तरीके से अधिनस्थ कर्मचारियों एवं सरपंच से साजिस कर छल कपट व धोखे से सायबी पत्नी हबीब का संपूर्ण हिस्सा खातेदारी का अपने नाम करा लिया जबकि सायबी पत्नी हबीब क पत्नी थी जो लाऔलाद फौत हुई उसके लाऔलाद फौत होने पर मुतवफी मारूफ के वंशज एवं उतराधिकारी अपीलकर्तागण एवं उतरदाता संख्या 4, 9, 12, 13, 15, 18, 22 के नाम समान रूप से खातेदारी में हिस्सा दर्ज होता उससे महरूम रखने के लिए उतरदाता संख्या 18 जो फर्जी तरीके से हबीब का पुत्र बना जो उपरोक्त नामांतरकरण के अमलदरामद करने से विधि विरूद्व हबीब का पुत्र बना और आगामी चौसला जमाबंदी में उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 126, 70, 138 मौजा मेकरनवाला तहसील रामसर में अकेले ने हिस्सा प्राप्त किया जबकि अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 4, 9, 12, 13, 15, 18, 22 सभी हबीब के उतराधिकारी के रूप में नामांतरकरण पारित करना था जो नहीं किया गया जिससे उतरदाता संख्या 24 के नाम की गलत प्रविष्टि दर्ज है जो कि उतरदाता संख्या 1 द्वारा की गई उतरदाता संख्या 24 के पक्ष में दर्ज नामांतरकरण संख्या 460 ग्राम मेकरनवाला, पटवार हल्का भीण्डे का पार दिनांक 05.07.2023 को पारित करने में भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की हैं अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार की जावें एवं विवादित नामान्तकरण संख्या 460 ग्राम मेकरनवाला, पटवार हल्का भीण्डे का पार, दिनांक 05.07.2023 को निरस्त किया जाकर उतरदाता संख्या 24 वाहरम खान उर्फ बारम पुत्र हबीब का नाम राजस्व अभिलेखो से हटाये जाने के आदेश पारित किये जावें। इस कारण उक्त अपीलकर्ता द्वारा अपील पेश की है। साथ ही अपील के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत मान सिंह व अन्य बनाम रूपाराम आर. आर.डी. 1995, राजस्थान औधौगिक एण्ड खनिज विकास निगम जोधपूर व अन्य बनाम शिवा राम व अन्य आर.आर.डी. 14.12.2008 पेश किये।

इसके विपरीत उतरदाता संख्या 3, 9 से 13, 16 से 18 व 22 के अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित प्रकथन/बहस में निवेदन किया कि अपीलकर्ता द्वारा श्रीमान के समक्ष धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण संख्या 460 के विरूद्व अपील करीब 2 वर्ष 4 माह के उपरान्त प्रस्तुत की हैं जबकि नामान्तरकरण की अपील की ... होती है जिसके अन्दर अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए किन्तु उक्त अपील करीब ... माह के उपरांत प्रस्तुत की गई जो म्याद बाहर होने से अपील चलने योग्य नहीं है ... मेकरनवाला, पटवार हल्का भीण्डे का पार, तहसील रामसर के खेत खसरा नम्बर 126, 70, 138 के संबंध में आलोच्य सायबा के फोत होने के कारण विधिक वारिशान के रूप में आलोच्य नामांतरकरण संख्या 460 स्वीकृत दिनांक 05.07.2023 को पारित होने के उपरांत करीब 2 वर्ष 4 माह व्यतित हो चुके हैं कि आलोच्य नामांतरकरण पारित किया गया तत्समय उक्त आलोच्य नामांतरकरण सहमति से पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.01.27 17:35:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

किंतु बाद में अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 2 मे मध्य मामूली बोलचाल होने के
...त प्रकरण में अपीलकर्ता ने उतरदाता संख्या 2 को धमकी देते हुए तंग व परेशान करने
...श्य से ग्रस्ति होकर उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं जो म्याद बाहर होने से काबिल खारीज
...र आलोच्य प्रकरण में हबीब के देहांत उपरांत हबीब की पत्नी सायबा जो पूर्णत्या स्वस्थचित
...ल में थी जिसने बारम की सेवा चाकरी से पूर्णतया खुश होकर हबीब के हक हिस्से की संपूर्ण संपति में फोतगी नामांतरकरण के जरिये स्वंय सायबी ने अपना व बारम का नाम खातेदार के रूप में तत्समय दर्ज करवा दिया। यदि तत्समय सायबी को कोई आपति होती तो वा विधिक चाराजोही अवश्य करती। किंतु सायबी स्वंय ने ही बारम का नाम अपने साथ राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया था। जिसके कुछ समय बाद सायबी का देहांत होने पर हबीब की संपूर्ण आलोच्य खातेदारी भूमि में सायबी के स्थान पर एकल खातेदारी के रूप में बारम का नाम आलोच्य नामांतरकरण संख्या 460 स्वीकृत दिनांक 05.07.2023 को दर्ज कर दिया गया जिस संबंध में आपति करने का अपीलकर्ता को कोई वैध ही अधिकार नहीं बनता। किंतु इसके उपरांत भी अपिलकर्ता ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बारम की वैध संपति को हड़प करने सहित बारक को तंग व परेशान करने के दुराश्य से ग्रस्ति होकर दो वर्ष चार माह बाद उक्त आलोच्य नामांतरकरण के विरूद्व अपील पेश की गई हैं जो आसाधारण विलम्ब के बाद पेश की गई जो म्याद के बिन्दू पर निरस्त किये जाने योग्य हैं। लिखित प्रकथन/बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत शिवम्मा बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड सुप्रिम कोर्ट 2025, स्टेट ऑफ उतर प्रदेश बनाम सुशिल कुमार व अन्य, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय दिनांक 06.04.1994 अनवान उतर प्रदेश राज्य बनाम खलील पुत्र मोहम्मद कलीम व अन्य का पेश किया गया।

अपीलाण्ट अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें सर्वप्रथम धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रकथन/बहस व संलग्न न्यायिक दृष्टांतों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया बाद अवलोकन हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे कि किसी भी कानूनी रूप से गलत निर्णय की अपील अथवा रिवीजन करने की प्राकृतिक न्याय के आधार पर कोई म्याद नहीं होती हैं लिहाजा धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर म्याद के बिंदू को सुरक्षित रखते हुए अपील को अंदर म्याद सुमार किया जाता हैं। अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 2 से 24 मुतवफी मारूफ के वंशज एवं उतराधिकारी हैं मुतवफी मारूफ का पुत्र हबीब लाऔलाद फौत हुआ हैं लाऔलाद फौत होने से अपीलाधीन आराजी खेत खसरा नम्बर 126, 70, 138 मौजा मेकरनवाला, ग्राम पंचायत मेकरनवाला, पटवार हल्का भीण्डे का पार, तहसील रामसर में हबीब के विधिक हक हिस्से की भूमि में उतरदाता संख्या 24 के साथ साथ अपीलकर्तागण एवं अन्य उतरदातागण का भी विधिनुसार हक हिस्सा होने की पुष्टि होती हैं लिहाजा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 460 दिनांक 05.07.2023 को ग्राम पंचायत मेकरनवाला द्वारा पारित करने में विधि के सारभूत तथ्यों की भारी विधिक भूल की हैं अतः ग्राम पंचायत मेकरनवाला द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 460 दिनांक 05.07.2023 को अपास्त किये जाने में कोई आपति प्रतित नहीं होती हैं।

लिहाजा अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत मेकरनवाला द्वारा पारित अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 460 दिनांक 05.07.2023 को अपास्त किया जाता हैं एवं तहसीलदार रामसर को प्रकरण पुनः प्रेषित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत सही नामान्तरकरण पारित करने के आदेश दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.01.27 17:35:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

देश आज दिनांक 17.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/12/2025

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

क्रमांक :—रीडर/2026/ 1125-27

दिनांक :— 17/12/2025

प्रतिलिपि :—

1. तहसीलदार रामसर
2. अपीलकर्ता अमीर वगैरा
3. समस्त उतरादातागण।

17/12/2025

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.01.27 17:35:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner